प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.09.2025

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई सजा ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा निर्देशन में नवगठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक निरीक्षक श्री संदीप कुमार सिंह द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री संजीव कुमार द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप थाना इन्दिरापुरम से सम्बन्धित मा० न्यायालय में विचाराधीन हत्या के अपराध में अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र सर्वानन्द निवासी 175 बी ज्ञानखण्ड 04 इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद को मा० न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कोर्ट संख्या -4 द्वारा हत्या का दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 10,000 रु०/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दिनाक 20/21.04.2019 को वादी द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर सूचना दी गयी कि उनके बहनोई सुमित कुमार उपरोक्त, उनकी बहन एवं 03 बच्चों का परिवार सहित अपने उपरोक्त पते पर निवास कर रहे थे, अभियुक्त सुमित (वादी का जीजा) पहले UST ग्लोवल कम्पनी में नौकरी करता था जिसकी 02-03 महीने पहले ही नौकरी छूट गयी थी जिसके कारण सुमित घर पर ही रह रहा था। अभियुक्त सुमित द्वारा वादी की बहन एवं उसके 02 भांजे व 01 भांजी का गला किसी धारादार हथियार से रेत कर हत्या कर दी गयी है जिसके सम्बन्ध मे दिनांक 21.04.2019 को थाना इन्दिरापुरम पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना के दौरान प्रभारी निरीक्षक श्री संदीप कुमार सिंह द्वारा प्रमाणिक वैज्ञानिक तथा संसगत साक्ष्य संकलित करते हुये अभियुक्त सुमित के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय मे प्रेषित किया गया। उपरोक्त अभियोग में महिला एवं बच्चो की निर्मम हत्या की घटना होने के दृष्टिगत उक्त अभियोग की विवेचना एवं पैरवी को गम्भीरता से लेकर अभियुक्त के विरुद्ध घटना से सम्बन्धित सबूत एवं साक्ष्यों का प्रस्तुतिकरण कराते हुये सत्र परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण करायी गयी। लोक अभियोजक

श्री संजीव कुमार एवं पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 10,000 रु०/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा अभियुक्त राकेश रावत पुत्र मेहरबान सिंह नि0 डी-602 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद के विरूद्ध वाद संख्या 22/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गई ।

दिनांक 11.09.2025 को अभियुक्त राकेश रावत पुत्र महरबान सिंह नि0 डी-602 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद के विरूद्ध वाद संख्या -22/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 06 माह के लिए अभियुक्त राकेश रावत उपरोक्त को जिला बदर किया गया है।
उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 30.09.2025 को थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा अभियुक्त राकेश उपरोक्त को आदेश की तामील कराते हुये आदेश की एक प्रति अभियुक्त राकेश को दी गयी तथा अभियुक्त राकेश उपरोक्त की ढोल नगाडों के साथ मुनादी कराते हुये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर किया गया। साथ ही मुनादी कराकर लोगों से अपील की गयी कि अभियुक्त के आज दिनांक से 06 माह तक अपने घर पर आने की या जिले में रहने की सूचना प्राप्त होती है तो थाना नन्दग्राम पुलिस को अवगत कराने का कष्ट करें।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त राकेश उपरोक्त के विरूद्ध थाना सिहानी गेट पर चोरी के 01 अभियोग, व आबकारी अधि0-01 व आर्म एक्ट 01 व थाना विजय नगर पर एनडीपीएन 01 अभियोग व थाना नन्दग्राम पर आबकारी अधि0- 01 व चोरी 01 अभियोग कुल 06 अभियोग कमि0 गाजियाबाद पर पंजीकृत है।।
(कुल -अभियोग-06)

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा निर्देशन में नवगठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ०नि० श्री कुशलपाल सिंह द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री संजीव कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप थाना विजयनगर से सम्बन्धित मा0 न्यायालय में विचाराधीन हत्या एवं महिला उत्पीडन के अपराध में अभियुक्त लोकेश पुत्र रामानन्द निवासी बी 80 सै0 -09 विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या -7 द्वारा हत्या एवं महिला उत्पीडन का दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 25,000 रु०/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दिनांक 01.12.2020 को वादी द्वारा थाना विजयनगर पर अपने दामाद लोकेश उपरोक्त के विरुद्ध अपनी पुत्री की गला घोटकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने की बात भी वादी द्वारा अपनी तहरीर में अकित करायी थी जिसकी विवेचना उ०नि० श्री कुशलपाल सिंह द्वारा की गयी तथा अभियुक्त के विरुद्ध वैज्ञानिक, अभिलेखीय, प्रमाणिक साक्ष्य संकलित कर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 08.04.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा 13.06.2022 को संज्ञान लेकर घटना से सम्बन्धित सभी गवाहों की गवाही करायी गयी पुलिस द्वारा महिला हत्या के विरुद्ध घटना को गम्भीरता से लेकर ससमय गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी गयी एवं घटना से सम्बन्धित सबूतों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मा0 न्यायालय में नियुक्त लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार द्वारा उक्त अभियोग की प्रभावी पैरवी करायी गयी। जिसके आधार पर अभियुक्त लोकेश उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या एव उत्पीडन को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
महिला सम्बन्धी अपराधों में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पुलिस एवं अभियोजन द्वारा सफलता प्राप्त की गयी है ,महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु प्रतिबद्धता दिखाते हुये अन्य मामलो में इसी प्रकार प्रभावी पैरवी सुनिश्वत की जा रही है।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा साइबर फ्रॉड में लिप्त एक अभियुक्त गिरफ्तार, थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद के 01 अभियोग का खुलासा, 6.32 लाख रुपये रिकवर, साथ ही 10 राज्यों की 17 अन्य घटनाओं में कुल 9.76 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का खुलासा।

श्री उमाकांत जेना निवासी वसुन्धरा इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के साथ शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर साइबर फ्रॉड की जून 2025 में घटना हुई, श्री उमाकांत जेना को फेसबुक के माध्यम से सम्पर्क कर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ कर फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट में इन्वेस्ट करने के लिये प्रलोभित किया गया। अभियुक्तों द्वारा फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट http://drwinxltd.cc पर शेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनवाकर, शेयर ट्रेडिंग में निवेश के बहाने कुल 68,60,456/- रुपये की साइबर ठगी की गई।

उपरोक्त के घटना के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोगों में 6.32 लाख रुपये रिकवर कराते हुए इस साइबर फ्रॉड की घटना करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त मनोज खटीक पुत्र नारायण लाल निवासी खटीक मोहल्ला, ताणा, तहसील भूपाल सागर, चित्तोड़गढ़ राजस्थान को थाना क्षेत्र कोतवाली गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त मनोज खटीक ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक गैंग है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये दोस्ती कर लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़कर, लिंक भेजकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट http://drwinxltd.cc में उनके अकाउन्ट खुलवाकर शेयर ट्रेडिंग तथा टेलीग्राम टास्क में निवेश के बहाने साइबर फ्रॉड की घटना करते हैं।

अभियुक्त ने बताया कि वह टैक्सी चलाता है। उसकी मुलाकात 2023 में जयेश खटीक निवासी उदयपुर से हुई, जयेश खटीक ने उसे साइबर फ्रॉड के बारे में बताया, जयेश खटीक के कहने पर एक फर्जी फर्म SHREE KRISHNA ENTERPRISES खोलकर उसके नाम पर चालू खाता खुलवाया। जयेश खटीक इस खाते में हुई ट्रांजेक्शन के बदले में कमीशन मनोज खटीक को देता था। इस खाते में कुल 4.03 करोड़ रुपये साइबर फ्रॉड के ट्रांसफर हुए थे। मनोज खटीक ने इस खाते के अतिरिक्त दो और बैंक खाते जयेश खटीक को दिये थे। जयेश खटीक लूणदा जनपद उदयपुर का रहने वाला है, उदयपुर पुलिस के द्वारा उसे साइबर फ्रॉड में गिरफ्तार कर जेल भेज जा चुका है।

अभियुक्त से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इनके गैंग के द्वारा 10 राज्यों क्रमशः आंध्र प्रदेश राज्य के 1 , दिल्ली राज्य के 2, गुजरात राज्य के 1, हरियाणा राज्य के 1, कर्नाटक राज्य के 1, केरल राज्य के 3, महाराष्ट्र राज्य के 2, तमिलनाडु राज्य के 3, तेलंगाना राज्य के 2 एवं उत्तर प्रदेश राज्य के 1 लोगों के साथ कुल 9.76 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की गई है।

विवरण इस प्रकार है - आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिला निवासी ए श्रीधर बाबू के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 1050000/- रुपये का फ्रॉड, दिल्ली राज्य के दक्षिण जिला निवासी प्रणब कुमार प्रस्टी के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 92500/- रुपये का फ्रॉड एवं दक्षिण-पूर्व जिला निवासी सुमेर सिंह मीना के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 1091947/- रुपये का फ्रॉड, गुजरात राज्य के वडोदरा शहर जिला निवासी कुणाल चेतवानी के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 228877/- रुपये का फ्रॉड, हरियाणा राज्य के गुरूग्राम जिला निवासी रजत अरोड़ा के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 24440110/- रूपये का फ्रॉड, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर जिला निवासी राघवेंद्र किरानी के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 6408878/- रुपये का फ्रॉड, केरल राज्य के त्रिशूर ग्रामीण जिला निवासी अनिल कुमार के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 1055000/- रुपये का फ्रॉड, कोट्टायम जिला निवासी बाबू के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 15970812/- रुपये का फ्रॉड एवं तिरुवनंतपुरम शहर के जिला निवासी किशोर के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 12893964.5/- रुपये का फ्राड, महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर जिला निवासी सौरभ शर्मा के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 16992910/- रुपये का फ्रॉड एवं राम हनुमंत सुरनार के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 319000/- रुपये का फ्रॉड, तमिलनाडु राज्य के सलेम सिटी जिला निवासी बालावेंकटरमण के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 1576000/- रुपये का फ्रॉड, अवादी जिला निवासी डोमिनिक के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 202000/- रुपये का फ्रॉड, अवादी शहर सीसीबी निवासी अमरनाथ मनोहरन के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 3565000/- रुपये का फ्रॉड, साइबराबाद जिले के निवासी भासवान हरेथ के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 6700000/- रुपये का फ्रॉड एवं नागरम वामशी कृष्णा के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 2866229/- रुपये का फ्रॉड, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला निवासी तरूण बंसल के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 2200000/- रूपये का फ्रॉड की घटनाओं का खुलासा हुआ है। सम्बन्धित पुलिस से सम्पर्क कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.मनोज खटीक पुत्र नारायण लाल निवासी खटीक मोहल्ला, ताणा, तहसील भूपाल सागर, चित्तोड़गढ़ राजस्थान, उम्र - 29 वर्ष, शिक्षा – 12 वीं।

गिरफ्तारी करने वाली टीम - थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 260 पव्वे अवैध शराब बरामद।

आज दिनांक 30.09.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ अभियुक्ता संगीता पत्नी प्रमोद निवासी पुनीत एन्क्लेव पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 260 पव्वे संतरा देशी

शराब हरियाणा मार्का बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर आबकारी अधिनियम की धारा-60/63के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा से चोरी-छिपे देशी शराब खरीद कर लाती हूँ और अधिक मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच देती हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

संगीता पत्नी प्रमोद निवासी पुनीत एन्कलेव पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण–

260 पव्वे संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर आबकारी अधिनियम के कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा अभियुक्त सत्यप्रकाश पुत्र राममूर्ति निवासी कृष्णा नगर मेरठ रोड थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद के विरूद्ध वाद संख्या 171/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गई।

दिनांक 11.09.2025 को अभियुक्त सत्यप्रकाश पुत्र राममूर्ति निवासी कृष्णा नगर मेरठ रोड थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद के विरूद्ध वाद संख्या -171/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 06 माह के लिए अभियुक्त सत्यप्रकाश उपरोक्त को जिला बदर किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 30.09.2025 को थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा अभियुक्त सत्यप्रकाश उपरोक्त को आदेश की तामील कराते हुये आदेश की एक प्रति अभियुक्त सत्यप्रकाश को दी गयी तथा अभियुक्त सत्यप्रकाश उपरोक्त की ढोल नगाडों के साथ मुनादी कराते हुये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर किया गया। साथ ही मुनादी कराकर लोगों से अपील की गयी कि

अभियुक्त के आज दिनांक से 06 माह तक अपने घर पर आने की या जिले में रहने की सूचना प्राप्त होती है तो थाना नन्दग्राम पुलिस को अवगत कराने का कष्ट करें।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त सत्यप्रकाश उपरोक्त के विरूद्ध थाना कवि नगर पर चोरी के 02 अभियोग, व उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप 01 व थाना सिहानी गेट पर आबकारी अधि0 01अभियोग व थाना नन्दग्राम पर मार-पीट-01 कुल 04 अभियोग कमि0 गाजियाबाद पर पंजीकृत है। ।

(कुल -अभियोग-04)

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।